तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/1/26	पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0राजस्व अधिनियम पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम शंकरपुरा तहसील लाड़पुरा जिला कोटा में खसरा नं0 245 की 8 बीघा 5 बिस्वा कृषि आराजीयात में से 1/2 हिस्सा भूमि हीरा, गोप्या व धन्ना पिसरान औंकार जी जाति माली निवासी ग्राम मण्डी खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा के खाते एवं कब्जे काश्त में स्थित थी। जमाबन्दी सम्वत 2026–2029 व 2034–2037 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। .उक्त खातेदारान गोप्या, हीरा पिसरान औंकार जी अविवाहित एवं लाऔलाद थे, जिनका कई वर्षो पूर्व स्वर्गवास हो चुका है। धन्ना आत्मज ओंकार जी का भी स्वर्गवास हो चुका है, जिनके एक मात्र पुत्र एवं विधिक वारिस एवं कायम मुकाम प्रार्थी रामस्वरूप है। इस प्रकार उक्त खातेदारान गोप्या, हीरा धन्ना पिसरान औंकार जी का एक मात्र विधिक वारिस एवं कायम मुकाम प्रार्थी रामस्वरूप है। उपरोक्त वर्णित कृषि आराजीयात के सम्वत 2038 से 2057 में हुऐ सेटलमेन्ट में नवीन खसरा नं0 482 रकबा 1.42 है0 कायम किये गये थे। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा सेटलमेन्ट के पूर्व की जमाबन्दी अनुसार गोप्या, हीरा, धन्ना पिसरान औंकार जी के नाम का अंकन सेटलमेन्ट जमाबन्दी में किया जाना चाहिए था, परन्तु सेटलमेन्ट विभाग द्वारा सहवन से गोपी उर्फ गोप्या के स्थान पर गोधा का अंकन कर दिया गया है, जिसका सेटलमेन्ट विभाग को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। सेटलमेन्ट विभाग के गत इन्द्राजात अनुसार ही सेटलमेन्ट जमाबन्दी में इन्द्राज किये जाने का कनूनी प्रावधान है, अर्थात सेटलमेन्ट विभाग को नाम में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इस कारण से सेटलमेन्ट विभाग द्वारा गोपी उर्फ गोप्या के स्थान पर गोधा के नाम का अंकन सहवन से त्रृटिवश रूप से हुआ है, जिसे प्रार्थी को संशोधन करवाये जाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। धन्ना आत्मज औंकार जी की मृत्यु के उपरान्त उनका फौती इन्तकाल उनके पुत्र तथा विधिक वारिस होने से प्रार्थी के पक्ष में तस्दीक किया जा चुका है। प्रार्थी के सगे काका हीरा व गोपी उर्फ गोप्या आत्मज औंकार जी का भी स्वर्गवास हो चुका है तथा प्रार्थी रामस्वरूप ही खातेदार हीरा व गोपी उर्फ गोप्या का एक मात्र विधिक वारिस एवं कायम मुकाम है तथा हीरा, व गोपी उर्फ गोप्या आत्मज औंकार जी के हिस्से की उपरोक्त वर्णित कृषि आराजीयात का फौती इन्तकाल अपने पक्ष में तस्दीक कराने का अधिकारी है। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा बिना किसी अधिकार के एवं बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के खातेदार गोपी के नाम के गत इन्द्राज के स्थान पर गोधा का अंकन सेटलमेन्ट जमाबन्दी में कर दिया है, जिस कारण से गोपी उर्फ गोप्या आत्मज औंकार जी का स्वर्गवास हो जाने के कारण उसका फौती इन्तकाल प्रार्थी के पक्ष में विरोधाभासी नाम का अंकन होने के कारण तस्दीक किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। इस कारण से वर्तमान जमाबन्दी में सेटलमेन्ट के पूर्व की जमाबन्दी के अनुसार गोधा के नाम के स्थान पर गोपी उर्फ गोप्या नाम का अंकन प्रार्थी कराने का अधिकारी है। प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दी सम्वत 2038–2057 तथा वर्तमान जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपी संलग्न है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वर्तमान राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में ग्राम शंकरपुरा तह0 लाडपुरा की ख0नं0 482 रकबा 1.42 है0 भूमि में गोधा आत्मज औंकार के स्थान पर सेटलमेन्ट से पूर्व के इन्द्राज गोपी उर्फ गोप्या आत्मज औंकार का अंकन किये जाने का अर्थात उपरोक्त अनुसार संशोधन किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने की कृपा करे तथा अन्य न्यायोचित सहायता जो भी उचित हो वह भी पारित फरमाई जावे। बाद प्रार्थीपक्ष द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र के कथनों को दोहराया। उपरोक्तानुसार बाद बहस पत्रावली एवं पत्रावली में सलंग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज यथा	

उपखण्ड अधिकारी कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जमाबंदी ग्राम शंकरपुरा सम्वत 2038–2057, जमाबंदी संवत 2026–2029, जमाबंदी संवत 2034–2037 एवं अन्य दस्तावेज पत्र की प्रति अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी गोधा पुत्र औंकार गोप्या पुत्र औंकार एक ही व्यक्ति के नाम है। उपरोक्तानुसार बाद अवलोकन प्रार्थना–पत्र को प्रथम दृष्ट्या ही स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत् प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम शंकरपुरा पटवार हल्का दीपपुरा में स्थित आराजी खाता संख्या नया 105 के खसरा नं0 482 की रकबा 1.42 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 1.42 है0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में गोधा पुत्र ओंकार के स्थान पर गोधा उर्फ गोप्या पुत्र ओंकार दर्ज किया जावे। उक्त निर्णय आज दिंनाक: 27/1/26 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। गजेन्द्र सिह उपखण्ड अधिकारी कोटा उपखण्ड अधिकारी कोटा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा	